वित्तीय स्वीकृति

संख्या-45/2016/भा0सा0 39/52-3-16-1(99)/2007

प्रेषक,

श्रीपकाशं सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0

□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 30 □□, 2016

विषयः-भारत सरकार द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट-कम-मीन्स योजना □□ क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्ययों को वहन करने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-5/36/ 2015-□□0□□0, दिनांक 31.3.2016 तथा पत्र 0-1/37/2015-□□0□□0, दिनांक 31.3.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट-कम-मीन्स योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 के प्रशासनिक व्यय को वहन करने हेतु क्रमशः रू0 91,17,020/- तथा रू0 53,71,920/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2. भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट-□□-मीन्स योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि क्रमशः रू0 04,58,11,000/- तथा रू0 02,93,32,000/- के सापेक्ष क्रमशः रू0 91,17,020/-(रू0 इक्यानवें लाख सत्रह हजार बीस मात्र) तथा रू0 53,71,920/-(रू0 तिरेपन लाख इक्हत्तर

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हजार नौ सौ बीस मात्र) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर व्यय हेतु रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते □□-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के संबंध में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशां◌े◌ं/दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के संबंध में जहा◌ॅ आवश्यक हो, व्यय होने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) प्रशासनिक व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जायेगी जिसके लिए भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की गयी है। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का अन्य मद में पुर्नविनियोग नही किया □□□□□

(4) उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का मदवार विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र दो माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेंगा।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 □□ □□□□□ संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र आयोजित योजनायें-0102-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/ छात्राओं के लिए दशमोत्तर (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत के0)-21- छात्रवृत्तियां/ छात्रवेतन तथा 0103-अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत के0) -21- छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/□□-1-746/□□- 2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

---

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-□□0□□0 39(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3- □□□ □□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, 11वां तल, पर्यावरण □□□, □□0□□0 □0 काम्पलेक्स, □□□ □□, नयी दिल्ली 110003

4- मुख्य कोषाधिकारी, केन्द्रीय□□□□, □□□□□

5- कोषाधिकारी, जिला□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

6- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□□

7- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) □□□□-11

9- वित्त(संसाधन केन्द्रीय सहायता) □□□□

10- कम्प्यूटर आपरेटर अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□

11- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

---

1- □□ □□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □□□
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।